भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4677
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

महिला सुरक्षा के लिए निधि

4677. **श्री ईश्वरस्वामी के.:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निर्भया कोष के उपयोग का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए धनराशि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस संबंध में परियोजना की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार वर्तमान स्थिति तथा धनराशि का उपयोग कितना है; और
(घ) क्या सरकार ने वार्षिक बजट में इस परियोजना के लिए अलग से कोई मद बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): निर्भया कोष के तहत वित्त वर्ष 2024-25 तक कुल 7712.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रालयों/विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा जारी और निर्भया कोष से उपयोग की गई कुल राशि 5846.08 करोड़ रुपये है जो कुल आवंटन का लगभग 76% है।

निर्भया कोष के लिए फ्रेमवर्क के तहत गठित अधिकारियों की एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) निर्भया कोष के तहत वित्तपोषण के प्रस्तावों का आरंभ में मूल्यांकन करती है और अनुशंसा करती है। यह समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों/ कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए)/राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर स्वीकृत परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय स्थिति की व्यापक समीक्षा भी करती है। इसके अलावा, परियोजना/योजना कार्यान्वयन मंत्रालय/विभाग/राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भी अपने स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती हैं।

निर्भया कोष के तहत योजनाएं/परियोजनाएं महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के मुख्य क्षेत्रों का समाधान करती हैं, चाहे वह सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा सहित अपराध की रोकथाम से संबंधित हो या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से या हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं या संकटग्रस्त लोगों को संस्थागत सहायता प्रदान करने से संबंधित हो। सार्वजनिक परिवहन अर्थात रेल और सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष रूप से केंद्रित परियोजनाओं में रेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं शामिल हैं जैसे एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस), कोंकण रेलवे में वीडियो निगरानी प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) को वीडियो निगरानी प्रणालियों के साथ एकीकृत करना, जिसमें 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर और ट्रेन में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्री की सुरक्षा के लिए टैब शामिल हैं। सड़क परिवहन से संबंधित परियोजनाओं में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कमांड और कंट्रोल सेंटर के साथ वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म और उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी), तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी), इत्यादि जैसी कुछ राज्य विशिष्ट परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई पहलों/परियोजनाओं में पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) (अब तक 14,658 डब्ल्यूएचडी स्थापित किए गए हैं), विभिन्न आपात स्थितियों के लिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112), पश्चिम बंगाल को छोड़कर 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईआरएसएस के साथ विधिवत एकीकृत पूरी तरह कार्यशील समर्पित महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल-181), 8 शहरों (अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ

और मुंबई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं, सभी जिलों और सीमा सुरक्षा बलों में मानव तस्करी विरोधी इकाइयां (एएचटीयू) और वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), इत्यादि शामिल हैं।

सरकार प्रति वर्ष निर्भया कोष के तहत एक अलग बजट मद में वित्त आवंटित करती है। सभी मंत्रालयों/विभागों/आईए के पास अपने विभागीय बजट में एक समर्पित बजट मद होता है जिसमें आवश्यकता के अनुसार निधि का प्रावधान होता है। इसे वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित परियोजनाओं को उनके सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद जारी किया जाता है।

*****